



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 12, 2021 (PHALGUNA 21, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 12th March, 2021

No. 15-HLA of 2021/21/5052.— The Sports University of Haryana, Bill 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15-HLA of 2021

THE SPORTS UNIVERSITY OF HARYANA BILL, 2021

A

BILL

to establish and incorporate a Sports University in the State of Haryana, a specialised University, to promote sports education in the areas of sports sciences, sports technology, sports management and sports coaching besides functioning as the training centre for select sports disciplines by adopting best international practices and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Sports University of Haryana Act, 2021.
(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. In this Act and in all Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Academic and Activity Council” means the Academic and Activity Council of the University;
 - (b) “academic staff” means such categories of staff as are designated as academic staff by the Ordinances;
 - (c) “Board of Sports Studies” means the Board of Sports Studies of a Department of the University;
 - (d) “Chancellor” means the Chancellor of the University;
 - (e) “college” means a college or other academic institution established or maintained by, or admitted to the privileges of the University;

Short title and commencement.

Definitions.

- (f) "Court" means the Court of the University;
- (g) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies;
- (h) "employee" means any person appointed by the University and includes teachers and other staff of the University;
- (i) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (k) "Fund" means the Fund of the University referred to in section 30;
- (l) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University, or of an Outlying Campus or of a College or an institution, maintained by the University;
- (m) "Head of the Department" means the head of any teaching department of the University;
- (n) "institution" means an academic institution, not being a college, maintained by, or admitted to the privileges of the University;
- (o) "outlying campus" means the campus of the University as may be established by it at any place within or outside the State;
- (p) "Principal" means the Head of a college or an institution maintained by the University and includes, where there is no Principal, the person for the time being duly appointed to act as Principal, and in the absence of the Principal or the acting Principal, a Vice-Principal duly appointed as such;
- (q) "regional centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of coordinating and supervising the work of study centres in any region and for performing such other functions, as may be conferred on such centre by the executive council;
- (r) "regulations" means the regulations made by any authority of the University under this Act for the time being in force;
- (s) "school" means a school of studies of the University;
- (t) "section" means the section of this Act;
- (u) "State" means the State of Haryana;
- (v) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
- (w) "Statutes" and "Ordinances" means, respectively, the Statutes and the Ordinances of the University framed under this Act;
- (x) "study centre" means a centre established, maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling, training or for rendering any other assistance required by the students;
- (y) "teachers of the University" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such other persons as may be appointed for imparting instructions, training or conducting research in the University or in any outlying campus, college or institution or regional centres and study centres maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances;
- (z) "University" means the Sports University of Haryana established and incorporated as a University under this Act;
- (aa) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University;
- (ab) "Visitor" means the Visitor of the University.

Establishment of University. 3. (1) There shall be established a University by the name of "Sports University of Haryana".

(2) The headquarters of the University shall be at Rai in District Sonipat and it may establish or maintain outlying campuses, colleges, regional centres and study centres at such other places in the State, as it may deem fit:

Provided that the University may, with the prior approval of the State Government, also establish outlying campuses and study centres outside the State.

(3) The first Visitor, the first Chancellor, the first Vice-Chancellor and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic and Activity Council, and all such persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of "Sports University of Haryana".

(4) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

4. The objects of the University shall be—

- (i) to evolve as an institute of advanced study in the field of physical education and sports sciences;
- (ii) to provide for research and development and dissemination of knowledge in physical education and sports sciences by providing specially designed academic and training programmes in various areas of physical education and sports sciences and training in advanced technologies of sports;
- (iii) to strengthen physical education and sports training programmes to promote sports;
- (iv) to establish centres and institutions of excellence for imparting state of the art educational training and research in the fields of physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (v) to provide professional and academic leadership to other institutions in the field of physical education and sports sciences;
- (vi) to provide vocational guidance and placement services in physical education, sports sciences, sports medicine, sports technology and other related fields;
- (vii) to generate capabilities for the development of knowledge, skills and competences at various levels in the fields of physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (viii) to generate capabilities to provide infrastructure of international standard for education, training and research in the areas related to physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (ix) to prepare highly qualified professionals in the fields of physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (x) to serve as a centre of excellence for the elite and other talented sportspersons of all sports and games and innovation in physical education and sports sciences and to carry out, endorse and propagate research;
- (xi) to function as a leading resource centre for knowledge and development in the areas of physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (xii) to provide international collaboration in the fields of physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (xiii) to establish close linkage with sports academies, schools, colleges, sports and recreation clubs, sports associations and international federations for the purpose of teaching, training and research in physical education and sports sciences, sports technology and high performance training for all sports and games;
- (xiv) to train talented athletes so as to help them to evolve into elite athletes of international level;
- (xv) to make the State and India a sporting power;
- (xvi) such other objects, not inconsistent with the provisions of this Act, which the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

5. (1) The University shall have the following powers and functions, namely:-

- (i) to plan, design, develop and prescribe courses of study and conduct appropriate academic and training programmes in physical education and sports sciences including sports technology, sports medicine, sports infrastructure engineering, kinesiology, clinical biomechanics, sports psychology, sports nutrition, rehabilitation and physiotherapy, sports journalism, sports marketing and sports coaching, and to provide for instruction and training in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on, persons, on the basis of examinations, evaluation or any method of testing, and to withdraw any such certificates, diplomas, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

Objects of University.

Powers and functions of University.

- (iii) to provide opportunities to the students of the University to participate in the sports tournaments and competitions in co-ordination with established International Sports Federations, National Sports Federations, Indian Olympic Association and Association of Indian Universities;
- (iv) to have liaison or membership with various international professional organisations or bodies;
- (v) to establish and maintain, with the prior approval of the State Government, such outlying campuses, regional centres, specialised laboratories or other units for research, instruction and training as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (vi) to establish, maintain or recognise study centres in the manner laid down by the Statutes;
- (vii) to establish and maintain colleges, institutions and halls;
- (viii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (ix) to institute Principalships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching or academic positions, required by the University and to appoint persons to such Principals, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships or other teaching or academic positions;
- (x) to appoint persons working in any University or academic institution, including those located outside the country, as teachers of the University for a specified period;
- (xi) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (xii) to co-operate or collaborate or associate with any other university or authority or institution of higher learning, including those located outside the country, in such manner and for such purposes as the University may determine;
- (xiii) to provide facilities through the distance education system to such persons and in such manner, as may be prescribed by the Statutes;
- (xiv) to institute and award fellowships, scholarships, studentship, medals and prizes for raising academic standards and research;
- (xv) to organise and to undertake extramural studies, training and extension services;
- (xvi) to make provision for research and advisory services and for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisations, as the University may deem necessary;
- (xvii) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators, other academic staff and students;
- (xviii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;
- (xix) to determine standards of admission to the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (xx) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (xxi) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (xxii) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;
- (xxiii) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;
- (xxiv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

- (xxv) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold and manage, and to dispose of, with the previous approval of the State Government, any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes of the University;
- (xxvi) to borrow, with the previous approval of the State Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (xxvii) to conduct innovative experiments and promote new methods and technologies in the fields of physical education, sports sciences, sports medicine, sports technology, sports management and other related fields;
- (xxviii) to purchase or to take on lease any land or building or sports complex or sports infrastructure and scientific sports research equipment or indoor stadium or works which may be necessary or convenient for the purposes of the University, on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct, alter and maintain any such building or work;
- (xxix) to start any new allied course or research programme or diploma or training programme and discontinue any course or training programme;
- (xxx) to invest the funds of the University in or upon such securities and transpose any investment from time to time in such manner as it may deem fit in the interest of the University;
- (xxxi) to execute conveyances regarding transfers, mortgages, leases, licenses, agreements and other conveyances in respect of the property, movable or immovable, including Government securities, belonging to the University or to be acquired for the purposes of the University, after taking prior permission of the State Government;
- (xxxii) to act as a technical advisory body to State Government, National Sports Federations and other Organisations on all matters related to sports;
- (xxxiii) to provide training, coaching and other back up to high level sports persons for achieving success in different national and international sports competitions;
- (xxxiv) to give effect to the procedures and standards provided under the State Sports Talent Search and Identification Programmes;
- (xxxv) to confer autonomous status on a college or an institution in the manner laid down by the Statutes;
- (xxxvi) to admit to its privileges any college or institution in or outside India subject to such conditions as may be laid down by the Statutes:

Provided that no college or institution shall be so admitted except with the prior approval of the State Government;

- (xxxvii) to provide for the preparation of instructional and training materials, including films, cassettes, tapes, video cassettes and other software;
- (xxxviii) to recognise persons for imparting instructions in any college or institution admitted to the privileges of the University; and
- (xxxix) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects.

(2) The University shall in the exercise of its powers have jurisdiction over the whole State of Haryana and to the outlying campuses and study centres outside the State.

(3) It shall be the endeavour of the University to maintain high standards of teaching, training and research, and the University shall, among other measures which may be necessary for the said purpose, take in particular, the following measures, namely:-

- (i) admissions of students and recruitment of faculty shall be made through appropriate procedures approved by the Executive Council of the University;
- (ii) foreign students shall be admitted by the University to various courses and programmes as per the policy and schemes and the procedure approved by the Executive Council of the University;

- (iii) semester system, continuous evaluation and choice-based credit system shall be introduced and the University shall enter into agreement with other universities and academic institutions for credit transfer and joint degree programmes;
- (iv) innovative courses and programmes of studies shall be introduced with a provision for periodic review and restructuring;
- (v) active participation of students shall be ensured in all academic activities of the University, including evaluation of teachers;
- (vi) accreditation shall be obtained from the National Assessment and Accreditation Council or any other accrediting agency at the national level; and
- (vii) e-governance shall be introduced with effective management information.

University to be open to all caste, religion, race or class.

6. The University shall be open to persons of any sex and of whatever caste, religion, race or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle such person to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to enjoy or exercise any privilege thereof:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, persons with disabilities or of persons belonging to the weaker sections of the society and, in particular, of the Scheduled Castes, and the other socially and educationally backward classes of citizens:

Provided further that no such special provision shall be made on the ground of domicile.

State Government to review work and progress of University.

7. (1) The State Government may, from time to time, appoint one or more persons to review the work and progress of the University, including outlying campuses, colleges, institutions, regional centres and study centres maintained by it, and to submit a report thereon; and upon receipt of that report, the State Government may, after obtaining the views of the Executive Council thereon through the Vice-Chancellor, take such action and issue such directions, as it considers necessary, in respect of any of the matters dealt with in the report and the University shall abide by such action and be bound to comply with such directions.

(2) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons, as it may direct, of the University, its buildings, sports complexes, libraries, laboratories and equipment, and of any outlying campus or college or institution or regional centre or study centre maintained by the University; and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, colleges or institutions or regional centres or study centres.

(3) The State Government shall, in every matter referred to in sub-section (2), give notice of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, to the University, and the University shall have the right to make such representations to the State Government, as it may consider necessary.

(4) After considering the representations, if any, made by the University, the State Government may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).

(5) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the State Government, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(6) The State Government may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any outlying campus or college or institution or regional centre or study centre established or maintained by it, address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry together with such views and advice with regard to the action to be taken thereon, as the State Government may offer, and on receipt of address made by the State Government, the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(7) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the State Government such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.

(8) Where, the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, it may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions, as it may think fit, and the Executive Council shall comply with such directions.

(9) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the State Government may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances:

Provided that before making any such order, the State Government shall call upon the Vice-Chancellor to show cause why such an order may not be made, and, if any cause is shown within a reasonable time, it shall consider the same.

(10) The State Government shall have such other powers, in respect of the affairs of the University, as may be prescribed by the Statutes.

8. The following shall be the officers of the University, namely:-

Officers of
University.

- (a) the Visitor;
- (b) the Chancellor;
- (c) the Vice-Chancellor;
- (d) the Registrar;
- (e) the Deans of Schools;
- (f) the Finance Officer;
- (g) the Controller of Examinations;
- (h) the Proctor;
- (i) Librarian; and
- (j) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

9. (1) The Governor of Haryana by virtue of his office shall be the Visitor of the University.

Visitor.

(2) The Visitor when present shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Court.

(3) The Visitor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Visitor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

(5) The University shall communicate to the Visitor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) In case of differences among the authorities or officers of the University on any matter which cannot be otherwise resolved, the decision of the Visitor shall be final.

(7) The Visitor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

10. (1) The Chancellor shall be appointed by the State Government in such manner, as may be prescribed by the Statutes.

Chancellor.

(2) The Chancellor, when present and in the absence of the Visitor shall preside over the convocations of the University and the meetings of the Court.

(3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry.

Vice-Chancellor.

(5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice.

(6) The Chancellor may invite a person or persons of eminence in law and legal education to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government in such manner, as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall apprise such authority at its next meeting the action taken by him on such matter:

Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the State Government whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to represent against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(4) Where the Vice-Chancellor is of the opinion that any decision taken by any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred under the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances, or that any decision taken by the authority is not in the interest of the University, he may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

Registrar.

12. (1) The Registrar shall be appointed in such manner, and on such terms and conditions of service, as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

Dean of School.

13. Every Dean of School shall be appointed in such manner, and on such terms and conditions of service, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes.

Finance Officer, Controller of Examinations, Proctor and Librarian.

14. The Finance Officer, Controller of Examinations, Proctor and Librarian shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed by the Statutes

Other officers.
Creation of posts and revision of pay scales.

15. The manner of appointment and powers and duties of other officers of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

16. Notwithstanding anything contained in this Act, the University shall not create any teaching and non-teaching post or revise the pay scale of the teaching and non-teaching employees without obtaining the prior approval of the State Government.

Authorities of University.

17. The following shall be the authorities of the University, namely:—

- (a) the Court;
- (b) the Executive Council;
- (c) the Academic and Activity Council;
- (d) the Board of Sports Studies;
- (e) the Finance Committee;
- (f) such other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

18. (1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Court.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:—

- (a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University, and to suggest measures for the improvement and development of the University;
- (b) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report on such accounts;
- (c) to advise the State Government in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
- (d) to perform such other functions, as may be prescribed by the Statutes.

19. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University. Executive Council.

(2) The constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the Statutes.

20. (1) The Academic and Activity Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University. Academic and Activity Council.

(2) The constitution of the Academic and Activity Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such, as may be prescribed by the Statutes:

Provided that the Academic and Activity Council shall have sports persons who have achieved distinction in Olympics or World Championships as members.

21. The constitution, powers and functions of the Board of Sports Studies shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Board of Sports Studies.

22. The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Finance Committee.

23. The constitution, powers and functions of other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such, as may be prescribed by the Statutes. Other authorities of University.

24. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and functions of authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
- (b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities and bodies, the filling up of vacancies of members, and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;
- (d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, the emoluments and conditions of service;
- (e) the appointment of teachers and academic staff working in any other University or organisation for a specific period for undertaking a joint project;
- (f) the conditions of service of employees including provisions for pension, insurance, provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action;
- (g) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;
- (h) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;
- (i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;
- (j) the conferment of autonomous status on a college or an institution or a department;
- (k) the establishment and abolition of schools, departments, centres, halls, colleges, institutions, regional centres and study centres;

- (l) the conferment of honorary degrees;
- (m) the conferment and withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (n) the management of colleges, institutions, regional centres and study centres established and maintained by the University;
- (o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;
- (p) the maintenance of discipline among the employees and students; and
- (q) all other matters which by this Act are to be, or may be, provided for by the Statutes.

Statutes, how to be made. **25.** (1) The first Statutes are those set out in the Schedule to this Act.
 (2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal any Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

(3) Every new Statute or Statutes amending or repealing existing Statutes shall require the approval of the State Government and unless so approved, they shall be invalid.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act:

Provided that the State Government may, on the expiry of the said period of three years, make, within one year from the date of such expiry, such detailed Statutes as it may consider necessary and such detailed Statutes shall be laid before the State Legislature.

(5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by it and if the Executive Council is unable to implement such direction within sixty days of its receipt, the State Government may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Power to make Ordinances. **26.** (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study and their duration to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the medium of instruction and examination;
- (d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to examinations, degrees and diplomas of the University;
- (f) the conditions for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (h) the conditions of residence of the students of the University;
- (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them;
- (j) the establishment of Centres of Studies, Board of Studies, Specialised Laboratories and other Committees;
- (k) the manner of co-operation and collaboration with other universities, institutions and other agencies including learned bodies or associations;
- (l) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

- (m) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (n) the setting up of a machinery for redressal of grievances of employees and students; and
- (o) any other matter which, by this Act or the Statutes, is to be or may be, provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Executive Council and the Ordinances so made may also be amended or repealed at any time by the Executive Council in the manner, as may be prescribed by the Statutes.

27. The authorities of the University may make Regulations, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes.

Regulations.

28. (1) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects and shall be submitted to the Court on or before such date, as may be prescribed by the Statutes and the Court shall consider the report in its annual meeting.

Annual report.

(2) The Court shall submit the annual report to the State Government along with its comments, if any.

(3) The State Government shall, as soon as may be, cause a copy of the annual report to be laid before the State Legislature.

29. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Director, Local Audit, Haryana or any other auditor that may be appointed by the State Government.

Annual accounts.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the Court and the State Government along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the State Government on the annual accounts shall be brought to the notice of the Court and the observations of the Court, if any, shall, after being considered by the Executive Council, be submitted to the State Government.

(4) The State Government shall, as soon as may be, cause the copy of the annual accounts together with the audit report to be laid before the State Legislature.

(5) The audited annual accounts after having been laid before the State Legislature shall be published in the Official Gazette.

30. (1) There shall be a Fund of the University which shall include-

Fund of
University.

- (a) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;
- (b) any contribution or grant made by the State Government;
- (c) any contribution made by Government, semi-Government or autonomous bodies;
- (d) any loans, gifts, bequests, donations, endowments or other grants, if any;
- (e) income received by the University from fees and charges;
- (f) the moneys received by the University from the collaborating Industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the Industry for the establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University; and
- (g) amounts received in any other manner from any other source.

(2) All funds of the University shall be deposited in such Banks or invested in such manner, as the Board may decide on the recommendation of the Finance Committee.

(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

- Returns and information.
- 31.** The University shall furnish to the State Government such returns or other information with respect to its property or activities, within such period, as the State Government may, from time to time, require.
- Conditions of service of employees etc.
- 32.** (1) The manner of appointment, powers and duties of the officers and other employees of the University shall be such, as may be prescribed by the Statutes.
- (2) Every salaried officer and teacher, except the Vice-Chancellor, shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and any dispute arising out of a contract between the University and any of the officer or teacher shall, at the request of the teacher or officer concerned or at the instance of the University, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one nominee of the Visitor. The decision of the majority of the members of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matter decided by the Tribunal.
- (3) Every such request shall be deemed to be a submission to arbitration within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act No.26 of 1996).
- Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.
- 33.** Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Executive Council and the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be.
- Right to appeal.
- 34.** Every employee or student of the University or of a college or an institution or a regional centre or a study centre established or maintained by the University shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal to the Executive Council within such time, as may be prescribed by the Statutes against the decision of any officer or authority of the University or of the Principal or the management of any college or institution or regional centre or study centre, as the case may be and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision appealed against.
- Provident fund, insurance schemes, gratuity, ex-gratia etc.
- 35.** (1) The University shall constitute for benefit of its employees such provident fund or any other similar fund or provide such insurance schemes, as it may deem fit, in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed by the Statutes.
- (2) Where such provident fund or other similar fund has been so constituted, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Central Act No.19 of 1925) shall apply to such fund, as if it were a Government provident fund.
- (3) The University shall provide for the benefit of its officers, teachers and other employees, gratuity, ex-gratia grant etc. on the pattern of State Government.
- Disputes as to constitution of authorities and bodies.
- 36.** If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.
- Filling of casual vacancies.
- 37.** All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, elects or co-opts the member whose place has become vacant and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
- Proceedings of authorities or bodies not invalidated by vacancies.
- 38.** No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.
- Protection of action taken in good faith.
- 39.** No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

40. Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act 1 of 1872) or in any other law for the time being in force, a copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or other body of the University, or any other document in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Mode of proof of University record.

41. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

42. (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

(3) The power to make Statutes, Ordinances or Regulations shall include the power to give retrospective effect, from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes, Ordinances or Regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any Statutes, Ordinances or Regulations so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such Statutes, Ordinances or Regulations may be applicable.

Power to remove difficulties.

Statutes, Ordinances and Regulations to be published in Official Gazette and to be laid before State Legislature.

43. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes,-

Transitional provisions.

- (a) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government in such manner and on such conditions, as may be deemed fit and the said officer shall hold office for such term, not exceeding three years, as may be specified by the State Government;
- (b) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the State Government and each of the said officers shall hold office for a term of three years;
- (c) the first Court and the first Executive Council shall consist of not more than thirty-one members and eleven members, respectively, who shall be nominated by the State Government and shall hold office for a term of three years; and
- (d) the first Academic and Activity Council shall consist of not more than twenty-one members, who shall be nominated by the State Government and they shall hold office for a term of three years:

Provided that if any vacancy occurs in the above offices or authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the State Government and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held office, if such vacancy had not occurred.

THE SCHEDULE

[see section 25(1)]

The Statutes of the University

Chancellor.

1. (1) The Chancellor shall be appointed by the State Government from a panel of names recommended by a Search Committee:

Provided that if the State Government does not approve any of the persons included in the panel, it may call for an extended fresh panel.

(2) The Chancellor shall be an eminent person in the field of sports who shall either be a sports person of international repute himself or a renowned Sports Administrator or a renowned Sports Academician.

(3) The Search Committee shall consist of five persons, out of whom three shall be nominated by the Executive Council and two by the State Government, and one of the nominees of the State Government shall be the member-convenor of the Committee:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or of a college or institution or regional centre or study centre established or maintained by the University or a member of any authority of the University.

(4) The Chancellor shall be an honorary officer of the University.

(5) The Chancellor shall hold office for the term of three years or until he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier, and shall not be eligible for re-appointment.

Vice-Chancellor.

2. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the State Government from out of a panel of names recommended by a Search Committee:

Provided that if the State Government does not approve any of the persons included in the panel, it may call for an extended fresh panel.

(2) The Vice-Chancellor shall be an eminent person in the field of sports who shall either be a sports person of international repute himself or a renowned Sports Administrator or a renowned Sports Academician.

(3) The Search Committee shall consist of five persons, out of whom one shall be nominated by the Executive Council, one by the Haryana State Higher Education Council, two by the State Government and one by the University Grants Commission and one of the nominees of the State Government shall be the member-convenor of the Committee:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or of a college or institution or regional centre or study centre established or maintained by the University or a member of any authority of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of three years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office:

Provided further that the State Government may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of six months, as may be specified by it:

Provided further that when the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or, as the case may be, due to illness or such other cause, the Executive Council may appoint the senior-most Dean to perform the functions of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is appointed or, as the case may be, the existing Vice-Chancellor resumes his duties.

(6) Notwithstanding anything contained in clause (4), the State Government may, at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his office, by an order in writing, remove the Vice-Chancellor from office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions:

Provided that no such order shall be made by the State Government unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided further that the State Government may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry.

3. (1) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic and Activity Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Visitor and Chancellor preside at the Convocations held for conferring degrees and at meetings of the Court.

Powers and duties
of Vice-
Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of such authority or body.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(4) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons, as he deems fit.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meetings of the Executive Council, the Academic and Activity Council and the Finance Committee.

4. (1) Every Dean of School shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the school by rotation in order of seniority for a period of two years:

Deans of Schools.

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a school, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professors, if any, and the Associate Professors in the school, by rotation in the order of seniority.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Associate Professor, as the case may be, in the school.

(3) The Dean shall be the Head of the school and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the school and shall have such other functions as may be prescribed by the Ordinances.

(4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of Sports Studies or Committees of the school, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

5. (1) The Registrar shall be appointed by the Visitor on the advice of the State Government. He shall be whole-time salaried officer of University and shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

Registrar.

(2) The Registrar shall be appointed for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

(3) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) (a) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to impose on them the minor penalties:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

(c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendation:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(5) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic and Activity Council, but shall not be deemed to be member of either of these authorities and he shall be ex-officio Member-Secretary of the Court.

- (6) It shall be the duty of the Registrar-
- (a) to be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
 - (b) to issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic and Activity Council and of any Committee appointed by those authorities;
 - (c) to keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic and Activity Council and of any Committees appointed by those authorities;
 - (d) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic and Activity Council;
 - (e) to supply to the State Government, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
 - (f) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign Powers of Attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and
 - (g) to perform such other duties, as may be specified in the Statutes, the Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Executive Council.

Finance Officer. 6. (1) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the selection committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(3) The Finance Officer shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee.

- (4) The Finance Officer shall-
- (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and
 - (b) perform such other financial function as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.
- (5) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall-
- (a) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;
 - (b) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
 - (c) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council;
 - (d) keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investments;
 - (e) watch the progress of the collection of revenues and advise on the methods of collection employed;
 - (f) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up to date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, departments, centres and specialised laboratories;
 - (g) bring to the notice of the Vice-Chancellor any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and
 - (h) call for, from any office, department, centre, laboratory, college, institution, regional centre or study centre established or maintained by the University, any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.

(6) Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorised in this behalf by the Executive Council for any money payable to University shall be sufficient discharge for payment of such money.

7. (1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

Controller of Examinations.

(2) When the officer of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(3) The Controller of Examinations shall arrange for and superintend the examinations of the University in the manner prescribed by the Ordinances.

8. (1) The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

Librarian.

(2) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Executive Council.

9. (1) The Court shall consist of the following members who shall hold office for a period of three years, namely:-

Constitution and meetings of Court.

(a) Ex-officio Members,-

- (i) the Visitor;
- (ii) the Chancellor;
- (iii) the Vice-Chancellor;
- (iv) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (v) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (vi) the Administrative Secretary to Government, Haryana , Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
- (vii) the Legal Remembrancer and Administrative Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
- (viii) Director, Sports and Youth Affairs Department;
- (ix) Director, Higher Education Department;
- (x) the Proctor;
- (xi) the Deans of Schools;
- (xii) the Dean of Students' Welfare;
- (xiii) the Finance Officer;
- (xiv) one Senior Warden, by rotation;
- (xv) the Librarian of the University;
- (xvi) the President, Alumni Association;

(b) Other Members,-

- (i) Heads of Departments or Professors who are members of the Academic and Activity Council;
- (ii) one representative from each institution recognised by the university, nominated by the Vice-Chancellor on recommendations of the Head of the Institution;
- (iii) not more than four persons from amongst eminent sports scientists, sports academicians and sports administrators to be nominated by the State Government;
- (iv) not more than two persons representing sports industry, to be nominated by the State Government;

- (c) (v) not more than ten persons from amongst eminent sports persons and highly recognised coaches to be nominated by the State Government; the Registrar, who shall be the ex-officio Member Secretary:

Provided that no salaried servant of University, including its allied institutions, shall be eligible for election or nomination under any of the preceding sub-clauses of clause (b) except sub-clauses (i) and (ii) and that if any person elected or nominated under any of the preceding sub-clauses of clause (b) except sub-clauses (ii) and (iii) is subsequently appointed to any salaried post in the University or its allied institutions, he shall cease to be a member of the Court:

Provided further that no person shall be eligible for nomination or election to the Court except under sub-clause (v) unless he has attained the age of twenty-five years.

(2) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year.

(3) At an annual meeting of the Court, a report on the working of the University during the previous year, together with a statement of the receipts and expenditure, the balance-sheet as audited, and financial estimates for the next year shall be presented.

(4) A copy of the statement of receipts and expenditure, the balance-sheet and the financial estimates referred to in clause (2) shall be sent to every member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.

(5) Special meetings of the Court may be convened by the Executive Council or the Vice-Chancellor or if there is no Vice-Chancellor, by the Registrar.

(6) Two-fifths of the members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

Quorum for meeting of Executive Council.

Constitution, powers and functions of Executive Council.

10. Two-fifths of the members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

11. (1) The Executive Council shall consist of the following members to be nominated by the State Government, namely:-

- (a) Ex-officio Members,-
 (i) the Vice-Chancellor;
 (ii) the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 (iii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 (iv) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 (v) the Legal Remembrancer and Administrative Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
 (vi) Director, Sports and Youth Affairs Department;
 (vii) the Proctor;
 (viii) the Deans of Students' Welfare;
 (ix) the Deans of Schools;

(b) Other Members,-

- (i) three Senior Professors by rotation;
 (ii) four persons from amongst sports scientists, sports administrators, eminent sports persons and distinguished coaches nominated by the Visitor on the recommendation of the Vice-Chancellor;

- (c) the Registrar, who shall be ex-officio Secretary of the Executive Council.

(2) The members of Executive Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

(3) Any member who ceases to hold the qualifications by virtue of which he was elected or nominated as member to the Executive Council shall cease to be a member thereof.

(4) The Executive Council shall have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(5) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

- (i) to create teaching and other academic posts including Chairs, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff:

Provided that no action shall be taken by the Executive Council in respect of the number and qualifications of teachers and other academic staff otherwise than after consideration of the recommendations of the Academic and Activity Council;

- (ii) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff including Chair, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill up temporary vacancies therein;
- (iii) to promote interfacial research by making joint appointments of teaching staff in different schools, department and centres;
- (iv) to create teaching, administrative, ministerial and other posts, to define their duties and to make appointments thereto, in the manner prescribed by the Statutes:

Provided that in the matters of creation of new posts involving additional financial liability shall hold good if the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his representative, or the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department or his representative, is present at the time of taking such decisions and has consented to that decision:

Provided further that in respect of the numbers, qualifications and the emoluments of teachers and academic staff, the Executive Council shall take action after consideration of the recommendations of the Academic and Activity Council and the Finance Committee;

- (v) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence;
- (vi) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (vii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may think fit;
- (viii) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendation of the Finance Committee;
- (ix) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stocks, funds, share or securities, from time to time, as it may think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like powers of varying such investment from time to time;
- (x) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (xi) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (xii) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

- (xiii) to entertain, adjudicate upon, and if deemed fit, to redress any grievances of the employees and students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;
- (xiv) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic and Activity Council;
- (xv) to select a common seal for the University and provide for the use of such seal;
- (xvi) to make such special arrangements as may be necessary for the residence of women students;
- (xvii) to institute fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (xviii) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments;
- (xix) to enter into partnership with industry and non-Government agencies for the advancement of knowledge and establish a corpus of funds out of the profits of such partnership; and
- (xx) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by this Act or these Statutes.

(6) Any decision of the Executive Council in the matters involving additional financial liability and those relating to the annual budget of the University shall be valid only if the Administrative Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his representative, or the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department or his representative, is present at the time of taking such decisions and has consented to that decision

Members of
Academic and
Activity Council
and quorum for
meeting.

- 12.** (1) The Academic and Activity Council shall consist of the following persons, namely:-
- (a) Ex-officio members,-
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Director, Sports and Youth Affairs department, Haryana or his nominee not below the rank of Deputy Director;
 - (iii) the Registrar;
 - (iv) the Deans of Schools;
 - (v) the Deans of Students Welfare;
 - (vi) the Heads of the Departments;
 - (vii) the Chief Warden of University Hostels;
 - (viii) the Proctor;
 - (ix) the Controller of Examinations;
 - (x) the Librarian;
 - (xi) one out of the principals of colleges maintained by the University, by rotation, provided that he is not a member of the Executive Council;
 - (b) Other Members,-
 - (i) one professor appointed by the University from each Department, by rotation, on the basis of seniority;
 - (ii) three sports persons of international eminence to be nominated by the Vice-Chancellor, from outside the University;
 - (c) The Registrar, who shall be the Member-Secretary of Academic and Activity Council.

(2) Two-fifths of the members of Academic and Activity Council shall form the quorum for its meetings.

(3) The members of the academic council, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.

13. Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Academic and Activity Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

- (a) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among the colleges, institutions, regional centres and study centres and evaluation of research and improvement of academic standards;
- (b) to bring about and promote inter-school co-ordination and to establish or appoint such committees or boards as may be deemed necessary for the purpose;
- (c) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a school or the Executive Council, and to take appropriate action thereon; and
- (d) to frame such regulations and rules consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residence, admissions, award of fellowships and studentships, fees, concessions, corporate life and attendance.

Powers and functions of Academic and Activity Council.

14. (1) The University shall have such schools of studies, as may be specified by the Statutes.

Schools of Studies and Departments.

(2) Every school shall have a school board and the members of the first school board shall be nominated by the Executive Council for a period of three years.

(3) The composition, powers and functions of a school board shall be prescribed by the Ordinances.

(4) The conduct of the meetings of a school board and the quorum required for such meetings shall be prescribed by the Ordinances.

- (5) (a) Every school shall consist of such departments, as may be assigned to it by the Ordinances:

Provided that the Executive Council may, on the recommendation of the Academic and Activity Council, establish centres of studies to which may be assigned such teachers of the University as the Executive Council may consider necessary.

- (b) Each department shall consist of the following members, namely:-
 - (i) teachers of the department;
 - (ii) persons conducting research in the department;
 - (iii) Dean of the school;
 - (iv) Honorary Professors, if any, attached to the department; and
 - (v) such other persons as may be members of the department in accordance with the provisions of the Ordinances.

15. (1) Each department shall have a Board of Sports Studies.

Board of Sports Studies.

(2) The term of office of the Board of Sports Studies and of its members shall be prescribed by the Ordinances.

(3) Subject to the overall control and supervision of the Academic and Activity Council, the functions of a Board of Sports Studies shall be to approve subjects for research for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned school board in the manner prescribed by the Ordinances,-

- (a) courses of studies and appointment of examiners for courses, but excluding research degrees;
- (b) appointment of supervisors for research; and
- (c) measures for the improvement of the standard of teaching and research:

Provided that the above functions of a Board of Sports Studies shall, during the period of three years immediately after the commencement of this Act, be performed by the department.

Finance Committee.

- 16.** (1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-
- (a) Ex-officio Members,-
 - (i) the Vice-Chancellor;
 - (ii) the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (iii) the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - (iv) the Director, Sports and Youth Affairs Department, Haryana;
 - (b) (i) One outside member having expertise in finance to be nominated by the Visitor on the recommendation of the Vice-Chancellor;
 - (ii) Two Deans of Faculties to be nominated by the Vice-Chancellor.
 - (c) The Registrar, who shall be ex-officio Secretary of the Finance Committee.
- (2) Four members out of whom at least one member shall be a Government nominee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.
- (3) All the members of the Finance Committee, other than ex-officio members, shall hold office for a term of two years.
- (4) A member of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent if he does not agree with any decision of the Finance Committee.
- (5) The Finance Committee shall meet at least thrice every year to examine the accounts and to scrutinize proposals for expenditure.
- (6) All proposals relating to creation of posts, and those items which have not been included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council.
- (7) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval.
- (8) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University (which, in the case of productive works, may include the proceeds of loans).

Selection Committees.

- 17.** (1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian and Principals of colleges, institutions, regional centres and study centres established or maintained by the University.
- (2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, a nominee of the State Government and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

TABLE

	1	2
Professor.	<ul style="list-style-type: none"> (i) The Dean of the School. (ii) The Head of the Department, if he is a Professor. (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic and Activity Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor will be concerned. 	
Associate Professor/ Assistant Professor.	<ul style="list-style-type: none"> (i) The Head of the Department. (ii) One Professor nominated by the Vice-Chancellor. (iii) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic and Activity Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Associate Professor or Assistant Professor will be concerned. 	

Registrar/ Finance Officer/ Controller of Examination.	(i) Two members of the Executive Council nominated by it. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
Librarian.	(i) One person not in the service of the University who has special knowledge of the subject of the Library Science or Library Administration nominated by the Executive Council. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
Principal of College or Institution maintained by the University.	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Academic and Activity Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the College or Institution.

Note 1: Where the appointment is being made for an inter-disciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

Note 2: The Professor to be nominated by the Vice-Chancellor shall be a Professor concerned with the specialty for which the selection is being made and the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of the School before nominating the Professor.

(3) The Vice-Chancellor shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of the State Government's nominee and the experts nominated by the Executive Council:

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless,-

- (a) where the number of the State Government's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and
- (b) where the number of the State Government's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.

(4) The procedure to be followed by the Selection Committee shall be laid down in the Ordinances.

(5) If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the State Government for final orders.

18. (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Executive Council, with prior approval of the State Government, may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or Associate Professor or any other equivalent academic post in the University on such terms and conditions as it deems fit and on the person agreeing to do so appoint him to the post:

Provided that the Executive Council may also create supernumerary posts for a specified period for appointment of such persons:

Provided further that the number of supernumerary posts so created shall not exceed five per cent of the total posts in the University.

(2) The Executive Council may appoint a teacher or any other academic staff working in any other University or organization for undertaking a joint project in accordance with the manner laid down in the Ordinances.

19. The Executive Council may appoint a person selected in accordance with the procedure laid down in clause 17 for a fixed tenure on such terms and conditions as it deems fit.

Special mode of appointment.

Appointment for fixed tenure.

Committees.

20. (1) An authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit, and may appoint to such committees persons who are not members of such authority.

(2) A committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it.

Terms and conditions of service and code of conduct of teachers etc.

21. (1) All the teachers and other academic staff of the University shall be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

(3) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be prescribed by the Ordinances.

(4) A copy of every contract referred to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.

Terms and conditions of service and code of conduct of other employees.

22. (1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The manner of appointment and emoluments of employees, other than the teachers and other academic staff, shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

Seniority list.

23. (1) Whenever, in accordance with the Statutes, any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, specify.

(2) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of sub-clause (1).

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person or persons is otherwise in doubt, the Registrar may, on his own motion and shall, at the request of any such person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

Removal of employees of University.

24. (1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, a member of the academic staff or other employee of the University, the Vice-Chancellor, in the case of the teacher or a member of the academic staff, and the authority competent to appoint (hereinafter referred to as the appointing authority) in the case of other employee may, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Executive Council the circumstances in which the order was made:

Provided that the Executive Council may, if it is of the opinion, that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher or a member of the academic staff, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Executive Council in respect of teachers and other academic staff, and the appointing authority in respect of other employees, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff or other employee, as the case may be, on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Executive Council, or as the case may be, the appointing authority, shall not be entitled to remove any teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months' notice or on payment of three months salary in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under sub-clause (2) or sub-clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(5) The removal of a teacher, member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where the teacher, member of the academic staff or other employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of the Statute, a teacher, member of the academic staff or other employee may resign,-

- (a) if he is a permanent employee, only after giving three months notice in writing to the Executive Council or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months salary in lieu thereof;
- (b) if he is not a permanent employee, only after giving one month notice in writing to the Executive Council or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Executive Council or the appointing authority, as the case may be.

25. (1) The Executive Council may, on the recommendation of the Academic and Activity Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the State Government for the conferment of honorary degrees:

Honorary degrees.

Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.

(2) The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the State Government, any honorary degree conferred by the University.

Withdrawal of degrees, etc.

26. The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw a degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Executive Council.

Maintenance of discipline amongst students of University

27. (1) All powers relating to the maintenance of discipline and disciplinary action in relation to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) There shall be Proctor of the University to assist the Vice-Chancellor in the exercise of the powers referred to in sub-clause (1), who shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors and Associate Professors in the manner prescribed by the Ordinances.

(3) The Vice-Chancellor may delegate all or any of the powers referred to in sub-clause (1), as he deems proper, to the Proctor and to such other officers as he may specify in this behalf.

(4) Without prejudice to the generality of his powers relating to maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of such powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in a college, institution or regional centre or a department or a school of the University for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order, or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, college, institution or regional centre or department or a school for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be withheld or cancelled.

(5) The Principals of colleges, institutions, Deans of schools of studies and heads of teaching departments in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective colleges, institutions, schools and teaching departments in the University, as may be necessary for the proper conduct of such colleges, institution, schools and teaching departments.

- (6) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor and the Principals and other persons specified in sub-clause (5), detailed rules of discipline and proper conduct shall be made by the University and the Principals of colleges, institutions, Deans of Schools of studies and heads of teaching departments in the University may also make such supplementary rules as deemed necessary for the purposes stated therein.
- (7) At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.
- Convocations.** **28.** Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be prescribed by the Ordinances.
- Acting Chairman of meetings.** **29.** Where no provision is made for Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.
- Resignation.** **30.** Any member, other than an ex-officio member of the Court, the Executive Council, the Academic and Activity Council or any other authority of the University or any Committee of such authority may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as such letter is received by the Registrar.
- Disqualification** . **31.** (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities, or for being appointed as, and for being, an officer, of the University if-
 - (i) he is of unsound mind;
 - (ii) he is an undischarged insolvent; or
 - (iii) he has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude.
 (2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in sub-clause (i), the question shall be referred to the State Government and its decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.
- Residence condition for membership and office.** **32.** Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall not be eligible to be an officer of the University or a member of any authority of the University.
- Membership of authorities by virtue of membership of other bodies** **33.** Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment shall hold such office or membership only for so long as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.
- Alumni Association.** **34.** (1) There shall be an Alumni Association for the University.
 (2) The subscription for membership of the Alumni Association shall be prescribed by the Ordinances.
 (3) No member of the Alumni Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of election and is a degree holder of the University of at least five years standing:
 Provided that the condition relating to the completion of one years membership shall not apply in the case of the first election.
- Students Council.** **35.** (1) There shall be constituted in the University, a Students' Council for every academic year, consisting of,-
 - (i) the Dean of Students Welfare who shall be the Chairman of the Students Council;
 - (ii) twenty students to be nominated by the Academic and Activity Council on the basis of merit in studies, sports and extra-curricular activities; and
 - (iii) twenty students to be elected by the students as their representatives:
 Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University before the Students Council, if so permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

(2) The functions of the Students Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programmes of studies, students welfare and other matters of importance, in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion.

(3) The Students Council shall meet at least twice in every academic year and the first meeting of the Council be held in the beginning of the academic session.

36. (1) The first Ordinances made under sub-section (2) of section 26 may be amended or repealed at any time by the Executive Council in the manner specified in the following sub-clauses.

(2) No Ordinances in respect of the matters enumerated in sub-section (1) of section 26 of the Act shall be made by the Executive Council unless a draft of such Ordinances has been proposed by the Academic and Activity Council.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft of any Ordinances proposed by the Academic and Activity Council under sub-clause (2), but may reject the proposal or return the draft to the Academic and Activity Council for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(4) Where the Executive Council has rejected or returned the draft of an Ordinances proposed by the Academic and Activity Council, the Academic and Activity Council may consider the question afresh and in case the original draft is reaffirmed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting and more than half of the total number of members of the Academic and Activity Council, the draft may be sent back to the Executive Council which shall either adopt it or refer it to the State Government, whose decision shall be final.

(5) Every Ordinance made by the Executive Council shall come into effect immediately.

(6) Every Ordinance made by the Executive Council shall be submitted to the State Government within two weeks from the date of its adoption.

(7) The State Government shall have the power to direct the University to suspend the operation of any Ordinance.

(8) The State Government shall inform the Executive Council about its objection to the Ordinances referred to in sub-clause (7) and may, after receiving the comments of the University, either withdraw the order suspending the Ordinances or disallow the Ordinances, and its decision shall be final.

37. (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the following matters, namely:-

- (i) laying down the procedure to be observed at their meeting and the number of members required to form a quorum;
- (ii) providing for all matters which are required by this Act, the Statutes or the Ordinances, to be prescribed by Regulations; and
- (iii) providing for all other matters solely concerning such authorities or committees appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

Regulations.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meeting and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment in such manner as it may specify of any Regulation made under the Statutes or the annulment of any such Regulation.

38. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, any officer or authority of the University may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.

Delegation of powers.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Sports University of Haryana will be the first full-fledged sports University of international standards in the State. A void exists in the sports environment in various areas, such as, sports science, sports technology, sports management, high performance training, etc. Therefore, it has been decided to establish the Sports University of Haryana which is expected to fill this void with its exclusive focus on promotion of sports education in the areas of sports sciences, sports technology, sports management, etc. and research and training in various areas related to sports.

The focus of the University will be on multi-disciplinary studies with stress on applicability based on the latest researches in sports sciences, sports medicine and sports technology etc. The University is also empowered to establish Outlying Campuses. Apart from academic programmes and research, the University and its Outlying Campuses will also impart training to elite athletes, sports officials, referees and umpires and evolve as centre of excellence in various disciplines of sports.

SANDEEP SINGH,
Minister of State for Sports & Youth Affairs,
Haryana.

Chandigarh:
The 12th March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Sub-clause (1) of clause 25 of the Bill provides that the first Statutes are those set out in the Schedule to this Bill. Sub-clause (4) of clause 25 of the Bill provides that the State Government may make new or additional Statutes or amend or repeal the first Statutes during the period of three years immediately after the commencement of the Bill. On the expiry of the period of three years, the State Government may make, within one year from the date of such expiry, such detailed Statutes as it may consider necessary. Clause 24 of the Bill provides for the matters in respect of which the Statutes may be made.

2. Sub-clause (1) of clause 26 of the Bill provides for the matters in respect of which the Ordinances may be made. Sub-clause (2) of clause 26 of the Bill provides that the first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with previous approval of the Executive Council. The Ordinances so made may also be amended or repealed at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

3. Clause 27 of the Bill empowers the University to make Regulations consistent with the Bill, the Statutes and the Ordinances for the conduct of its own business and that of the Committees, if any, appointed by them.

4. The matters in respect of which the Statutes, Ordinances and Regulations may be made are matters of procedure and administrative detail, and as such, it is not practicable to provide for them in the proposed Bill itself. The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 15 एच.एल.ए.

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कौचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद विद्या को प्रोन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुरूपिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहुतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।
(2) यह ऐसी तिथि को लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) “विद्या और गतिविधि परिषद्” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की विद्या और गतिविधि परिषद् ;
 - (ख) “शैक्षणिक कर्मचारिवृंद” से अभिप्राय है, ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद, जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में पदाभिहित किए जाते हैं ;
 - (ग) “खेलकूद अध्ययन बोर्ड” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के किसी विभाग का खेलकूद अध्ययन बोर्ड ;
 - (घ) “कुलाधिपति” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;
 - (ङ) “महाविद्यालय” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या कोई अन्य शैक्षणिक संस्था ;
 - (च) “सभा” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की सभा ;
 - (छ) “विभाग” से अभिप्राय है, अध्ययन विभाग और इसमें अध्ययन केन्द्र भी शामिल हैं ;
 - (ज) “कर्मचारी” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी शामिल हैं ;
 - (झ) “कार्य परिषद्” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ;
 - (ज) “वित्त समिति” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
 - (ट) “निधि” से अभिप्राय है, धारा 30 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की निधि ;
 - (ठ) “छात्र निवास” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय, या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित दूरस्थ कैंपस या किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई ;
 - (ड) “विभागाध्यक्ष” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग का अध्यक्ष ;
 - (ढ) “संस्था” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कोई शिक्षण संस्था, जो महाविद्यालय नहीं है;
 - (ण) “दूरस्थ कैंपस” से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का ऐसा कैंपस, जो इसके द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर किसी स्थान पर स्थापित किया जाए ;

- (त) "प्राचार्य" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कोई महाविद्यालय या संस्था का मुखिया और इसमें शामिल हैं जहां कोई प्राचार्य नहीं है, वह व्यक्ति, जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से तत्समय नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में, ऐसे रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्राचार्य ;
- (थ) "क्षेत्रीय केन्द्र" से अभिप्राय है, किसी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों को करने के लिए, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसे केन्द्रों को प्रदत्त किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई केन्द्र ;
- (द) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए तत्समय लागू विनियम ;
- (ध) "विद्यापीठ" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की अध्ययन विद्यापीठ;
- (न) "धारा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा ;
- (प) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (फ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ब) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;
- (भ) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्राय है, सलाह, परामर्श, प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त कोई केन्द्र;
- (म) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से अभिप्राय है, आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं और जो अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में पदाभिहित किए जाते हैं ;
- (य) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय;
- (कक) "कुलपति" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (कख) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष।

3. (1) "हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जिला सोनीपत में राई में होगा और यह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकता है और अनुरक्षण कर सकता है, जो यह उचित समझे :

परन्तु विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के बाहर भी दूरस्थ कैंपस और अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकता है।

(3) प्रथम कुलाध्यक्ष, प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा, कार्य परिषद् तथा विद्या और गतिविधि परिषद् के प्रथम सदस्य, और ऐसे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, "हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय" के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और इसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

- (i) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित करना;
- (ii) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजाइनड शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेलकूद की उच्च प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान में अनुसंधान और विकास तथा ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना;

- (iii) खेलकूद को प्रोन्नत करने के लिए शारीरिक विद्या और खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना;
- (iv) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केन्द्र और संस्थाएं स्थापित करना ;
- (v) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में अन्य संस्थाओं को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना ;
- (vi) शारीरिक विद्या, खेलकूद विज्ञान, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और स्थानन सेवाएं प्रदान करना;
- (vii) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य के विकास के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना ;
- (viii) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन से संबंधित क्षेत्रों में विद्या, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की अवसरंचना उपलब्ध कराने के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना;
- (ix) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में उच्च अर्हता प्राप्त व्यवसायिकों को तैयार करना ;
- (x) सभी खेलकूद और खेलों के सर्वोत्कृष्ट और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता और शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान में नवाचार तथा अनुसंधान समर्थन और प्रचार करने के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना ;
- (xi) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में ज्ञान और विकास के लिए प्रमुख संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना ;
- (xii) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कराना ;
- (xiii) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजन के लिए खेलकूद अकादमियों, विद्यार्थीयों, महाविद्यालयों, खेलकूद और मनोरंजन कलाओं, खेलकूद संगमों और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों के साथ संघन संयोजन स्थापित करना ;
- (xiv) प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रशिक्षित करना, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्कृष्ट एथलीटों के रूप में उभरने में सहायता की जा सके ;
- (xv) राज्य तथा भारत को खेलकूद शक्ति बनाना ;
- (xvi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

विश्वविद्यालय की
शक्तियां और
कृत्य।

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

- (i) शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान, इसमें खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेल चिकित्सा, खेलकूद अवसंरचना अभियान्त्रिकी, काइनिजियोलोजी, नैदानिक जैव यान्त्रिकी, खेलकूद मनोविज्ञान, खेलकूद पोषण, पुनर्वासन तथा भौतिक चिकित्सा, खेलकूद पत्रकारिता, खेलकूद मार्किटिंग तथा खेल कॉर्चिंग भी शामिल हैं, में पाठ्यक्रमों की योजना बनाना, डिजाइन विकसित और विहित करना तथा समुचित शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा शिक्षण की ऐसी शाखाओं, जो विश्वविद्यालय, समय—समय पर अवधारित करे, में शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को उपाधि—पत्र या प्रमाण—पत्र देना, और उपधियां या अन्य शिक्षण संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और उपयुक्त और पर्याप्त कारण से किन्हीं ऐसे प्रमाणपत्रों, उपाधि—पत्रों, उपधियों या अन्य शिक्षण संबंधी उपाधियों को वापस लेना ;

- (iii) विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के समन्वय से खेल-प्रतियोगिताओं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना;
- (iv) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों या निकायों से संपर्क करना या उनकी सदस्यता रखना;
- (v) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे दूरस्थ कैंपस, क्षेत्रीय केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;
- (vi) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, अनुरक्षण करना या उनको मान्यता देना;
- (vii) महाविद्यालयों, संस्थाओं और छात्र निवासों को स्थापित करना और अनुरक्षण करना;
- (viii) परिनियमों द्वारा विहित रीति में मानद उपाधियां या अन्य शिक्षण संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
- (ix) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थापित करना तथा ऐसे प्राचार्य पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (x) किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था, इसमें देश से बाहर अवस्थित विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, में कार्य करने वाले व्यक्तियों की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति करना;
- (xi) प्रशासनिक, अनुसंधानीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (xii) उच्चतर विद्या के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था, इसमें देश से बाहर अवस्थित अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था भी शामिल हैं, के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, समन्वय करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना;
- (xiii) ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में दूरस्थ विद्या प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;
- (xiv) शैक्षणिक मानकों तथा अनुसंधान को उन्नत करने के लिए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;
- (xv) बाहरी अध्ययनों, प्रशिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;
- (xvi) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों के साथ ऐसे समझौते करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (xvii) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और छात्रों के लिए नवीन पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;
- (xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को सविदा पर या अन्यथा से नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकते हैं;
- (xix) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मानक अवधारित करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी शामिल हैं;
- (xx) फीसों और अन्य प्रभारों के भुगतान की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;
- (xxi) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;

- (xxii) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिकथित करना, इसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है;
- (xxiii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन करवाना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;
- (xxiv) कर्मचारियों के रखारख्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना;
- (xxv) धर्मदान, दान और उपहार प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी चल या अचल संपत्ति, जिसमें न्यास और विन्यास संपत्ति भी शामिल है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबन्ध और निपटान करना;
- (xxvi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;
- (xxvii) शारीरिक विद्या, खेलकूद विज्ञानों, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन के क्षेत्रों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में नए प्रयोग करना और नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों को प्रोन्नत करना;
- (xxviii) किसी भूमि या भवन या खेलकूद परिसर या खेलकूद अवसंरचना और वैज्ञानिक खेलकूद अनुसंधान उपकरण या इनडोर स्टेडियम या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हों, को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक और उचित समझे, कर्य करना या उन्हें पट्टे पर लेना तथा ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना और उसका रख-रखाव करना ;
- (xxix) किसी नए सहबद्ध पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम या उपाधि-पत्र या प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ करना तथा किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करना;
- (xxx) विश्वविद्यालय की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश करना और समय-समय पर ऐसी रीति, जिसे विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, में किसी निवेश को स्थानांतरित करना ;
- (xxxi) विश्वविद्यालय से संबंधित या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली चल या अचल संपत्ति, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां भी शामिल हैं, के संबंध में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेने के बाद, अंतरणों, बंधकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों, करारों और अन्य हस्तांतरणों के संबंध में हस्तांतरण-पत्र निष्पादित करना;
- (xxxii) खेलकूद से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार और राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों तथा अन्य संगठनों के लिए तकनीकी सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना;
- (xxxiii) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और अन्य सहायता प्रदान करना ;
- (xxxiv) राज्य प्रतिभा खोज तथा शिनारख्त कार्यक्रमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया और मानकों को प्रभावी बनाना;
- (xxxv) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में किसी महाविद्यालय या किसी संस्था को स्वायत्र प्रास्थिति प्रदान करना;
- (xxxvi) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, भारत में या भारत के बाहर किसी भी महाविद्यालय या संस्था को अपने विशेषाधिकार प्रदान करना :

 - परन्तु किसी महाविद्यालय या संस्था को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे ;

- (xxxvii) शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्रियों की निर्मितियों की व्यवस्था करना, इसमें फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य साफ्टवेयर भी शामिल हैं ;

- (xxxviii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना; और
- (xxxix) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो इसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरियाणा राज्य में और राज्य के बाहर दूरस्थ कैंपसों और अध्ययन केन्द्रों पर इसकी अधिकारिता होगी।

(3) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानक बनाए रखने का प्रयास करना होगा तथा विश्वविद्यालय, ऐसे अन्य उपायों में, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :—

- (i) छात्रों के दाखिले और संकाय की भर्ती, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित समुचित प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाएंगी ;
- (ii) विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में दाखिला, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पालिसी तथा स्कीमों तथा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;
- (iii) सेमेस्टर पद्धति, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प-आधारित ख्याति पद्धति को शुरू किया जाएगा और विश्वविद्यालय, ख्याति अंतरण तथा संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा;
- (iv) आवधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना की व्यवस्था के साथ अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों को चलाया जाएगा ;
- (v) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों, इसमें शिक्षकों का मूल्यांकन भी शामिल है, में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा ;
- (vi) राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन प्राप्त किया जाएगा ; और
- (vii) प्रभावी प्रबंधन सूचना के साथ ई-गवर्नेंस प्रारम्भ की जाएगी।

6. विश्वविद्यालय किसी भी लिंग तथा चाहे किसी भी जाति, धर्म, मूलवंश या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में दाखिला लेने या विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में दाखिला लेने या वहां स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड को अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, दिव्यांगजनों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के नियोजन या दाखिले के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई विशेष उपबंध अधिवास के आधार पर नहीं किया जाएगा।

7. (1) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र और अध्ययन केन्द्र सहित इसके कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, उस पर कूलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निर्देशों की पालना करने के लिए बाध्य होगा।

(2) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, खेलकूद परिसरों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरण और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण या किए गए अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं या क्षेत्रीय केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीति में जांच कराने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय का सभी जातियों, धर्मों, मूलवंशों या वर्गों के लिए खुला होना।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन किया जाना।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय को किए जाने वाले निरीक्षण या जांच के संबंध में अपने आशय का नोटिस देगी, और विश्वविद्यालय को राज्य सरकार को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकती है, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(5) जहां राज्य सरकार द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई गई है, तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) राज्य सरकार, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी दूरस्थ कैप्स या महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के संबंध में निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो राज्य सरकार प्रदान करे, कुलपति को संबोधित कर सकती हैं और राज्य सरकार से संबोधन प्राप्त होने पर, कुलपति, राज्य सरकार के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर ऐसी सलाह, जो राज्य सरकार प्रदान करे, को कार्य परिषद को संसूचित करेगा।

(7) कार्य परिषद, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए प्रस्तावित या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से राज्य सरकार को संसूचित करेगी।

(8) जहां कार्य परिषद, युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए कार्रवाई नहीं करती है, तो यह, कार्य परिषद द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और कार्य परिषद ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकती है, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के संगत नहीं हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पहले, राज्य सरकार कुलपति को कारण बताने के लिए कहेगी कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगी।

(10) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएँ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (क) कुलाध्यक्ष;
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) कुलपति;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ) विद्यापीठों के डीन;
- (च) वित्त अधिकारी ;
- (छ) परीक्षा नियंत्रक ;
- (ज) कुलानुशासक ;
- (झ) पुस्तकालयाध्यक्ष; और
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाध्यक्ष ।

9. (1) हरियाणा के राज्यपाल, अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित है, तो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था तथा परीक्षाओं, अध्यापन तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किए गए अन्य कार्यों की विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निर्देश करे, द्वारा की जाने वाली जांच करवा सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीति में की जाने वाली जांच करवा सकता है।

(4) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकता है, जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में उचित समझे।

(5) विश्वविद्यालय, कुलाध्यक्ष को ऐसी सलाह पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में संसूचित करेगा।

(6) किसी मामले, जिस का अन्यथा से समाधान नहीं किया जा सकता, पर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और अधिकारियों के बीच मतभेद होने की दशा में, कुलाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में, जब भी वह इसे आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को सलाह देने हेतु विधि तथा विधिक विद्या में उत्कृष्टता प्राप्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकता है।

10. (1) कुलाधिपति ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुलाधिपति। कुलाधिपति। किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह तथा सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी संस्था तथा परीक्षाओं, अध्यापन तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किए गए अन्य कार्यों की विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्हें वह निदेश करे, द्वारा की जाने वाली जांच करवा सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी रीति में की जाने वाली जांच करवा सकता है।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकता है, जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में उचित समझे।

(5) विश्वविद्यालय, कुलाधिपति को ऐसी सलाह पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में संसूचित करेगा।

(6) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में, जब भी वह इसे आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय को सलाह देने हेतु विधि तथा विधिक विद्या में उत्कृष्टता प्राप्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आमन्त्रित कर सकता है।

11. (1) कुलपति ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुलपति। कुलपति। किया जाएगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई से ऐसे प्राधिकरण को अवगत कराएगा :

परन्तु यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से व्यक्ति है, को ऐसी कार्रवाई पर निर्णय की सूचना की तिथि से तीन मास के भीतर कार्य परिषद् के पास ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपान्तरित कर सकती है या उलट सकती है।

(4) जहां कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा लिखा गया कोई विनिश्चय इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, या यह कि प्राधिकरण द्वारा लिखा गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकता है और यदि प्राधिकरण उस विनिश्चय को पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

कुल-सचिव ।

12. (1) कुल-सचिव की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

विद्यापीठों का डीन।

13. विद्यापीठ के प्रत्येक डीन की नियुक्ति, ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक तथा पुस्तकाध्यक्ष।

14. वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक तथा पुस्तकाध्यक्ष ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे, तथा वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

15. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पदों का सृजन तथा वेतनमानों का पुनरीक्षण।

16. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, कोई अध्यापन और गैर-अध्यापन पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

- (क) सभा ;
- (ख) कार्य परिषद् ;
- (ग) विद्या और गतिविधि परिषद् ;
- (घ) खेलकूद अध्ययन बोर्ड ;
- (ङ) वित्त समिति ;
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं।

सभा।

18. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना, तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर तथा ऐसे लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;
- (ग) राज्य सरकार को किसी ऐसे मामले के संबंध में सलाह देना, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और
- (घ) ऐसे अन्य कृत्य, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, का पालन करना।

कार्य परिषद्।

19. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

विद्या और गतिविधि परिषद्।

20. (1) विद्या और गतिविधि परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षण नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) विद्या और गतिविधि परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ :

परन्तु विद्या और गतिविधि परिषद् में सदस्यों के रूप में ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने ओलंपिक या विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं।

21. खेलकूद अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां तथा कृत्य, ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

खेलकूद अध्ययन बोर्ड।

22. वित्त समिति का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

वित्त समिति।

23. ऐसे अन्य प्राधिकरणों, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएँ, का गठन, शक्तियां और कृत्य, ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण।

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध किया जा सकते हैं, अर्थात्—

परिनियम बनाने की शक्ति।

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों, जो समय—समय पर गठित किए जाएं, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य;
- (ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी मामलों, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां तथा कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;
- (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों वृद्धि तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें ;
- (ड.) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में सेवारत शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों वृद्धि की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;
- (च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसमें पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी शामिल है ;
- (छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;
- (ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;
- (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;
- (ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्राप्तिति प्रदान करना;
- (ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र—निवासों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना और समाप्ति;
- (ठ) मानद उपाधियां प्रदान करना;
- (ड) उपाधि—उपाधि—पत्रों प्रमाणपत्रों और अन्य शिक्षण संबंधी उपाधियों को प्रदान करना और उन्हें वापस लिया जाना;
- (ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों का प्रबन्धन;
- (ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- (त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और
- (थ) ऐसे सभी अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकते हैं।

25. (1) प्रथम परिनियम वे होंगे, जो इस अधिनियम की अनुसूची में दिए गए हैं।

परिनियम कैसे बनाएं।

(2) कार्य परिषद्, समय—समय पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या किन्हीं परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसीयत, शक्तियां या गठन को प्रभावित करने वाले कोई परिनियम नहीं बनाएगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाए।

(3) प्रत्येक नये परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियमों के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जब तक ऐसा अनुमोदन नहीं कर दिया जाए, वे अविधिमान्य रहेंगे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु राज्य सरकार, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकती है और ऐसे विस्तृत परिनियम राज्य विधानमण्डल के समुख रखे जाएंगे।

(5) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकती है और यदि कार्य परिषद्, किसी ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साथ दिन के भीतर कार्यान्वयित करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश की अनुपालना में अपनी अक्षमता के लिए संसूचित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, परिनियम उचित रूप से बना सकती है, संशोधित कर सकती है।

अध्यादेश बनाने की
शक्ति ।

26. (1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यादेश, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्:-

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला तथा उनका ऐसे रूप में पंजीयन किया जाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, उपाधि-पत्रों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी अवधि;
- (ग) शिक्षण तथा परीक्षा के माध्यम;
- (घ) उपाधियों, उपाधि-पत्रों और प्रमाणपत्रों और अन्य शिक्षण संबंधी उपाधियों को प्रदान करने, उनके लिए अहताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;
- (ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, उपाधि-पत्रों में दाखिले के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी शामिल हैं;
- (ज) विश्वविद्यालयों के छात्रों के निवास की शर्तें;
- (झ) विशेष व्यवस्था, यदि कोई हों, जो महिला छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए की जा सकती हों तथा उनके लिए विशेष अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;
- (झ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्ड, विशेषज्ञताप्राप्त प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;
- (ट) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों, जिसमें विद्वत् निकाय या संगम भी शामिल हैं, के साथ समन्वय और सहयोग करने की रीति;
- (ठ) किसी अन्य निकाय, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, का सृजन, संरचना और कृत्य;
- (ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना;
- (ढ) कर्मचारियों तथा छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना; और
- (ण) कोई अन्य मामला, जो अध्यादेशों के लिए इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जा सकता है।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, में किसी समय संशोधित या निरसित भी किए जा सकते हैं।

- 27.** विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हों, के कार्य के संचालन के लिए, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति में इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकते हैं। विनियम ।
- 28.** (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार की जाएगी वार्षिक रिपोर्ट ।
 जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उददेश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय भी शामिल होंगे और वह सभा को उस तिथि को या उससे पूर्व भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपनी वार्षिक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।
- (2) सभा, अपनी टिप्पणी, यदि कोई हों, सहित वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
 (3) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी ।
- 29.** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार तथा पन्द्रह मास के अनधिक अन्तरालों पर, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा परीक्षक, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे । वार्षिक लेखे ।
- (2) वार्षिक लेखों की प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों सहित, सभा और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।
- (3) वार्षिक लेखों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कोई भी संप्रेक्षण, सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के बाद, राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- (4) राज्य सरकार, यथाशीघ्र, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखों की प्रति राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखवाएगी ।
- (5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखे जाने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।
- 30.** (1) विश्वविद्यालय की निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे— विश्वविद्यालय की निधि ।
 (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान ;
 (ख) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान ;
 (ग) सरकार, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत निकायों द्वारा किया गया कोई अंशदान ;
 (घ) कोई ऋण, उपहार, वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
 (ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय;
 (च) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच हुए सहमति-पत्र के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सहयोगी उद्योगों से प्राप्त धनराशि; तथा
 (छ) किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य रीति में प्राप्त राशि ।
- (2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां, ऐसे बैकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में उनका निवेश किया जाएगा, जो बोर्ड, वित्त समिति की सिफारिशों पर विनिश्चित करे।
- (3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग, विश्वविद्यालय के खर्चों, इसमें इस अधिनियम द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्च भी शामिल हैं, के लिए किया जाएगा ।
- 31.** विश्वविद्यालय, राज्य सरकार को ऐसी अवधि के भीतर अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसी विवरणी और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जिनकी राज्य सरकार, समय-समय पर, अपेक्षा करे । विवरणी और सूचना ।
- 32.** (1) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं । कर्मचारियों इत्यादि की सेवा की शर्तें ।
- (2) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा शिक्षक, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और विश्वविद्यालय तथा किसी अधिकारी या शिक्षक के बीच संविदा से उत्पन्न कोई विवाद संबंधित शिक्षक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या शिक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष के एक नामनिर्देशिती से मिलाकर बनने वाले मध्यस्थता-अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा । अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णित विषय के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा ।

छात्रों के विरुद्ध
अनुशासनिक
मामलों में अपील
और माध्यस्थम् की
प्रक्रिया।

अपील का
अधिकार।

भविष्य निधि,
बीमा स्कीम,
उपादान,
अनुग्रहपूर्वक
इत्यादि।

प्राधिकरणों तथा
निकायों के गठन
के बारे में विवाद।

आकस्मिक रिक्तियों
का भरा जाना।

प्राधिकरणों या
निकायों की
कार्यवाहियों का
रिक्तियों के कारण
अविधिमान्य न
होना।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाई के
लिए संरक्षण।

विश्वविद्यालय के
अभिलेखों को
साबित करने का
ढंग।

(3) प्रत्येक ऐसा अनुरोध, माध्यरथम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए निवेदन समझा जाएगा।

33. किसी परीक्षा का कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के आदेशों या संकल्प द्वारा हटा दिया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने हेतु एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित कर दिया गया है, वह ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकता है और कार्य परिषद्, कुलपति या समिति, जैसी भी स्थिति हो, के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित या उलट सकती है।

34. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी क्षेत्रीय केन्द्र या किसी अध्ययन केन्द्र के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य या प्रबन्धन के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और अपील पर, कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या उलट सकती है।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की कोई अन्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों का उपबंध करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की कोई अन्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया है, वहां राज्य सरकार यह घोषित कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19), के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानों वह सरकारी भविष्य निधि हो।

(3) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पैटर्न पर अपने अधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपादान, अनुग्रहपूर्वक अनुदान इत्यादि का उपबन्ध करेगी।

36. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह मामला राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

37. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में से सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को, जिनका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा, जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां हैं।

39. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

40. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प, या विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलपति द्वारा प्रमाणित की गई है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएगी और उसमें संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा ।

42. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति में, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तिथि से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पूर्वोत्तर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी शामिल है, किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा, जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हों, के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

43. इस अधिनियम और परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाना ।

अस्थाई उपबंध ।

- (क) प्रथम कुलपति, राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो वह उचित समझे और उक्त अधिकारी तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;
- (ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक उक्त अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;
- (ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् कमशः इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ; और
- (घ) प्रथम विद्या और गतिविधि परिषद् इकतीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि उपरोक्त कार्यालयों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है, तो उसे राज्य सरकार द्वारा, नियुक्ति या नामनिर्देशन, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती, तो पद धारण करता ।

अनुसूची

[देखिये धारा 25 (1)]

(विश्वविद्यालय के परिनियम)

कुलाधिपति ।

1. (1) कुलाधिपति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करती है, तो यह विस्तारित नया पैनल मंगवा सकती है।

(2) कुलाधिपति खेलों के क्षेत्र में कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा, जो या तो स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का खिलाड़ी या कोई विख्यात खेल प्रशासक या एक विख्यात खेल अकादमीशियन होगा।

(3) खोजबीन समिति पांच व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनमें से तीन कार्य परिषद् तथा दो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे, तथा राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती समिति का सदस्य— संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का मानद अधिकारी होगा।

(5) कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि या जब तक वह अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

कुलपति ।

2. (1) कुलपति खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करती है, तो यह विस्तारित नया पैनल मंगवा सकती है।

(2) कुलपति खेलों के क्षेत्र में कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा, जो या तो स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी या कोई विख्यात खेल प्रशासक या विख्यात खेल अकादमीशियन होगा।

(3) खोजबीन समिति पांच व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिनमें से एक कार्य परिषद् द्वारा, एक हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा, दो राज्य सरकार द्वारा तथा एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा तथा राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती समिति का सदस्य—संयोजक होगा :

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(5) कुलपति तिथि, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, से तीन वर्ष की अवधि या जब तक वह अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता तक, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की उक्त समाप्ति के होते हुए भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी कुलपति को उसकी पदावधि के अवसान के पश्चात् छह मास की कुल अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पर बने रहने का निवेश दे सकती है :

परन्तु यह और कि जब कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, जैसी भी स्थिति हो, या रुग्णता अथवा ऐसे अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो कार्य परिषद् ज्येष्ठतम् डीन को, नए कुलपति की नियुक्ति तक या विद्यमान कुलपति द्वारा अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने तक, जैसी भी स्थिति हो, कुलपति के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(6) खंड (4) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, कुलपति द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, कुलपति को असमर्थता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर पद से हटा सकती है :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, ऐसा आदेश करने से पहले किसी भी समय जांच लंबित रहने तक कुलपति को निलंबित कर सकती है।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिये आयोजित दीक्षान्त समारोहों और सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित रहने और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकता है।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

4. (1) विद्यापीठ के प्रत्येक डीन की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से विद्यापीठों के डीन। ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परन्तु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है, तो तत्समय डीन की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी।

(2) जब डीन का पद रिक्त है या जब डीन, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसके कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाएगा।

(3) डीन, विद्यापीठ का मुखिया होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएँ।

(4) डीन को खेलकूद अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों, जैसी भी स्थिति हो, की किसी बैठक में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

5. (1) कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह पर कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। वह कुल-सचिव। विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रणाधीन सीधे तौर पर कार्य करेगा।

(2) कुल-सचिव की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) जब कुल-सचिव का पद रिक्त है या जब कुल-सचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति, जिसे कुलपति प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, द्वारा किया जाएगा।

(4) (क) कुल-सचिव को, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन पर छोटी शास्त्रियां अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक व्यक्ति को उनके सम्बद्ध में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

- (ख) उपर्युक्त (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुल-सचिव के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।
- (ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुल-सचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट देगा :

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील, कार्य परिषद् को होगी।

(5) कुल-सचिव, कार्य परिषद् और विद्या और गतिविधि परिषद् का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(6) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह –

- (क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कार्य परिषद् उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होना ;
- (ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और उन प्राधिकरणों द्वारा गठित की गई समिति की बैठक बुलाने के सभी नोटिस जारी करना ;
- (ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् तथा उन प्राधिकरणों द्वारा गठित किन्हीं समितियों की सभी बैठकों को कार्यवृत्त रखना ;
- (घ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करना ;
- (ङ) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां तथा उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजना तथा ऐसी बैठकों को कार्यवृत्त देना ;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवचनों को सत्यापित करना या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना ; तथा
- (छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी।

6. (1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

(3) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(4) वित्त अधिकारी –

- (क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा इसको इसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा
- (ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी –

- (क) न्यास तथा दान की गई सम्पत्ति सहित विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च कार्य परिषद् द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमाओं से अधिक न हो तथा की सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किये जाएं, जिनके लिये वे प्रदान अथवा आर्बंटित किए गए हैं ;

- (ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने के लिए और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;
- (घ) नकदी तथा बैंक बकायों की स्थिति पर और निवेशों की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;
- (ड.) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा नियोजित किए जाने वाले संग्रहण के ढंग पर परामर्श देगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा की सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों तथा विशेषित प्रयोगशालाओं में उपकरण तथा अन्य उपभोज्य सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;
- (छ) किसी अप्राधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई के सुझाव देगा;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना या विवरणी, जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, मंगवाएगा ।

(6) वित्त अधिकारी अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतानयोग्य किसी धन के लिए दी गई कोई भी रसीद, ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त रूप से उन्मोचन होगी ।

7. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति परीक्षा नियंत्रक। की सिफारिशों पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो जाता है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

(3) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

8. (1) पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की पुस्तकाध्यक्ष। सिफारिशों पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

9. (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, सभा का गठन अर्थात् :— तथा बैठकें।

- (क) पदेन सदस्य —
 - (i) कुलाध्यक्ष ;
 - (ii) कुलाधिपति ;
 - (iii) कुलपति ;
 - (iv) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (v) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल तथा युवा मामले विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (vi) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (vii) विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (viii) निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग ;
 - (ix) निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग ;

- (x) कुलानुशासक ;
- (xi) विद्यापीठों के डीन ;
- (xii) छात्र कल्याण के डीन ;
- (xiii) वित्त अधिकारी ;
- (xiv) एक ज्येष्ठ वार्डन, चकानुक्रम से ;
- (xv) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष ;
- (xvi) पूर्व छात्र संगम का अध्यक्ष ;
- (ख) अन्य सदस्य –
 - (i) विभागाध्यक्ष या आचार्य, जो विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य हैं ;
 - (ii) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक संस्था से, संस्था के मुख्या की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ;
 - (iii) ख्याति प्राप्त खेलकूद वैज्ञानिकों, खेलकूद अकादमीशियन और खेलकूद प्रशासकों में से चार से अनधिक सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;
 - (iv) खेलकूद उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनधिक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;
 - (v) ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों और उच्च मान्यताप्राप्त कोचों में से दस से अनधिक व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;
- (ग) कुलसचिव जो पदेन सदस्य—सचिव होगा :

परन्तु इसकी सहबद्ध संस्थाओं सहित विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक कर्मचारी खंड (ख) के किन्हीं पूर्ववर्ती उपखंडों, उपखंड (i) तथा (ii) के सिवाय, के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होंगे तथा कि यदि खण्ड (ख) के किन्हीं पूर्ववर्ती उपखंडों, उपखंड (i) तथा (ii) के सिवाय, के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित कोई व्यक्ति पश्चात् वर्ती विश्वविद्यालय या इसकी सहबद्ध संस्थाओं में किसी वैतनिक पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह सभा के सदस्य के रूप में नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति, उप—खंड (v) के अधीन के सिवाय तब तक सभा के लिए नामनिर्देशन या निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता।

(2) सभा की कोई वार्षिक बैठक, कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली तिथि को आयोजित की जाएगी जब तक कोई अन्य तिथि सभा द्वारा किसी वर्ष के संबंध में नियत नहीं की गई हो।

(3) सभा की वार्षिक बैठक में पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राककलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(4) खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राककलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(5) सभा की विशेष बैठक, कार्य परिषद् या कुलपति या यदि कोई कुलपति नहीं है, तो कुलसचिव द्वारा बुलाई जा सकती है।

(6) सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सभा के दो बटा पांच सदस्यों से होगी।

10. कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति

कार्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति ।

कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य ।

11. कार्य परिषद् राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) पदेन सदस्य –
 - (i) कुलपति ;
 - (ii) अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

- (iii) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल तथा युवा मामले विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (iv) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (v) विधि परामर्शी एवं प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - (vi) निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग ;
 - (vii) कुलानुशासक ;
 - (viii) छात्र कल्याण के डीन ;
 - (ix) विद्यापीठों के डीन ;
- (ख) अन्य सदस्य –
- (i) तीन ज्येष्ठ आचार्य, चक्रानुक्रम से ;
 - (ii) कुलपति की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट खेलकूद वैज्ञानिकों और खेलकूद प्रशासकों, ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों तथा विशिष्ट कोचों में से चार व्यक्ति ;
- (ग) कुलसचिव, जो कार्यकारी परिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(2) कार्य परिषद् के सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) कोई सदस्य, जिसके आधार पर वह कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया था, योग्यता धारण नहीं करता है, तो वह उसके सदस्य के रूप में नहीं बना रहेगा ।

(4) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और सम्पत्ति के प्रबन्धन और प्रशासन तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के संचालन, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किए गए हैं, की शक्ति होगी ।

(5) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(i) अध्यक्षों सहित अध्यापन तथा अन्य शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियों अवधारित करना और आचार्यों, सहआचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना :

परन्तु शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और योग्यताओं के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिशों पर विचार किए बगैर नहीं की जाएगी ।

(ii) अध्यक्ष सहित ऐसे आचार्यों, सहआचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृंदों, जो आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की सिफारिश पर, को नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केन्द्रों में अध्यापन, कर्मचारीवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतर्मुखी अनुसंधान को प्रोन्नत करना ;

(iv) अध्यापन, प्रशासनिक, अनुसंचिवीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उनके कर्तव्य परिनिश्चित करना तथा अन्य पदों का सृजन करना और उनके कर्तव्य परिनिश्चित करना तथा परिनियमों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना :

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पदों के सृजन के मामले तभी लागू रहेंगे यदि प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि या प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल तथा युवा मामले विभाग या उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित हैं और उसने ऐसे निर्णय की सहमति दे दी है:

परन्तु यह और कि शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, योग्यताएं तथा उपलब्धियों के संबंध में, कार्य परिषद्, विद्या तथा गतिविधि परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, कार्यवाही करेगी :

- (v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपरिथिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपरिथिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना ;
- (vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन करना ;
- (vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेशों, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;
- (viii) वित्त समिति की सिफारिश पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती की सीमाएं नियत करना ;
- (ix) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धनराशि, इसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह समय—समय पर ठीक समझे या समय—समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तित करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति के क्य में निवेश करना ;
- (x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;
- (xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये निर्माणों, परिसरों, फर्नीचर तथा उपकरणों तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;
- (xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, परिवर्तित करना, उन्हें कार्याविन्त करना अथवा रद्द करना ;
- (xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित समझे, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णय करना और यदि ठीक समझे, तो उन शिकायतों को दूर करना ;
- (xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियाँ और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या और गतिविधि परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना ;
- (xv) विश्वविद्यालय के लिये सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग के लिए व्यवस्था करना ;
- (xvi) छात्राओं के निवास के लिए ऐसे विशेष प्रबन्ध करना, जो आवश्यक हों ;
- (xvii) अध्येतावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना ;
- (xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबन्ध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना ;
- (xix) ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए उद्योगों और गैर—सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना तथा ऐसी भागीदारी में से हुए लाभ से कायिक निधि की स्थापना करना ; और
- (xx) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालना करना, जो इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(6) अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले मामलों तथा उन मामलों, जो विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट से संबंधित हैं, में कार्य परिषद् का कोई विनिश्चय केवल तब वैध होगा, यदि प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि या प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल तथा युवा मामले विभाग या उसका प्रतिनिधि, ऐसा विनिश्चय करते समय उपरिथित है तथा उसने उस निर्णय पर अपनी सहमति दे दी है ।

विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य और बैठक के लिए गणपूर्ति ।

12. (1) विद्या और गतिविधि परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (क) पदेन सदस्य—
 - (i) कुलपति ;
 - (ii) निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा या उसका नामनिर्देशिती, जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

- (iii) कुल-सचिव ;
- (iv) विद्यापीठों के डीन ;
- (v) छात्र कल्याण के डीन ;
- (vi) विभागाध्यक्ष ;
- (vii) विश्वविद्यालय छात्रावासों का मुख्य वार्डन ;
- (viii) कुलानुशासक;
- (ix) परीक्षा नियन्त्रक ;
- (x) पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (xi) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से एक, चक्रानुक्रम से, बशर्ते वह कार्य-परिषद् का सदस्य न हो ;
- (ख) अन्य सदस्य —
 - (i) प्रत्येक विभाग से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, वरिष्ठता के आधार पर, चक्रानुक्रम से ;
 - (ii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त तीन खिलाड़ी ;
- (ग) कुलसचिव, विद्या और गतिविधि परिषद् का सदस्य—सचिव होगा ।
- (2) विद्या और गतिविधि परिषद् की बैठकों के लिए गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।
- (3) शैक्षणिक परिषद् के सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

13. (1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या और गतिविधि परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

विद्या और गतिविधि परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

- (क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों में से विद्या, अध्यापन के समन्वयन की पद्धतियों के संबंध में निर्देश देना, शैक्षणिक स्तरों में अनुसंधान और सुधारों के मूल्यांकन के संबंध में निर्देश देना ;
- (ख) अन्तर्रिंद्यापीठ समन्वय स्थापित करना और प्रोन्नत करना या ऐसी समितियों और बोर्डों की स्थापना या गठन करना, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (ग) या तो अपनी स्वःप्रेरणा पर किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् के प्रतिनिर्देश से, सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;
- (घ) विश्वविद्यालय के विद्या सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास प्रवेश, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों को प्रदान करने, फीसों, रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियमों तथा नियमों को बनाना ।

14. (1) विश्वविद्यालय में उतने अध्ययन विद्यापीठ होंगे, जितने परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्ययन विद्यापीठ और विभाग ।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(4) विद्यापीठ बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं :

परन्तु कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकती है, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएं, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझें ।

- (ख) प्रत्येक विभाग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—
- विभाग के शिक्षक ;
 - विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति ;
 - विद्यापीठ का डीन ;
 - विभाग से जुड़े मानद आचार्य, यदि कोई हो; और
 - ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।
- खेलकूद अध्ययन बोर्ड।**
- 15.** (1) प्रत्येक विभाग में खेलकूद अध्ययन बोर्ड होगा।
 (2) खेलकूद अध्ययन बोर्ड और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।
 (3) विद्या और गतिविधि परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए खेलकूद अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—
- अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए, अनुसंधान उपाधियों को छोड़कर, परीक्षकों की नियुक्ति;
 - अनुसंधान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और
 - अध्यापन और अनुसंधान के मानक के सुधार के लिए उपाय :
- परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान खेलकूद अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन विभाग द्वारा किया जाएगा।
- वित्त समिति।**
- 16.** (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
- पदेन सदस्य—
 - कुलपति
 - अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल तथा युवा मामले विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;
 - निदेशक, खेल तथा युवा मामले विभाग, हरियाणा ;
 - (ख) (i) कुलपति की सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वित्त में विशेषज्ञता रखने वाला एक बाह्य सदस्य ;
 (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो डीन;
 - (ग) कुलसचिव, जो वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।
- चार सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, वित्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति करेगा।
 - वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न, सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - यदि वित्त समिति का कोई सदस्य, उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है, तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।
 - लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वित्त समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।
 - पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्तावों की ओर उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी।
 - वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्रावकलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे, तत्पश्चात् अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी, जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अन्तर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, ऋणों के आगम भी हो सकते हैं।

17. (1) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति, कुलपति, राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के खाना 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनेगी :

सारणी

	1	2
आचार्य।		
	(i) विद्यापीठ का डीन;	
	(ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह कोई आचार्य है;	
	(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।	
सह आचार्य/सहायक आचार्य।	(i)	विभागाध्यक्ष;
	(ii)	कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य;
	(iii)	दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे सह आचार्य/सहायक आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।	(i)	कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य;
	(ii)	कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकाध्यक्ष।	(i)	कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो।
	(ii)	कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य।		तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा विद्या दी जा रही हो।

टिप्पण 1: जब नियुक्ति अंतर-शाखा परियोजना के लिए की जा रही हो, तब परियोजना के मुखिया को संबद्ध विभागाध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2: कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्राचार्य, उस विशेष विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के डीन से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, चयन समिति की बैठक बुलाएगा और उनकी अध्यक्षता करेगा:

परन्तु चयन समिति की बैठक राज्य सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत की जाएंगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक,—

(क) जहां राज्य सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार हो, वहां उनमें से कम से कम तीन बैठक में हाजिर न हों, और

(ख) जहां राज्य सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन हो, वहां उनमें से कम से कम दो बैठक में हाजिर न हों;

(4) चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद्, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए राज्य सरकार को भेजेगी।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

18. (1) इन परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पूर्व अनुसोदन से, कार्य परिषद्, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और व्यावसायिक योग्यता वाले किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, आचार्य या सहआचार्य का पद या कोई अन्य समकक्ष शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमत्रित कर सकती है और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन भी कर सकती है :

परन्तु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृद्धि को नियुक्त कर सकती है।

19. कार्य परिषद्, खंड 17 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को किसी नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकती है।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

समितियां।

20. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकता है जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन गठित समिति, इसे गठित करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि के अध्यधीन किसी ऐसे विषय का निपटान कर सकती है, जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए।

21. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि के सदस्यों की परलब्धियां ऐसी होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि के सदस्य, लिखित संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों तथा आचार संहिता।

ज्येष्ठता सूची।

22. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि से भिन्न, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्धि से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां ऐसी होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

23. (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चकानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो ऐसी ज्येष्ठता उसके ग्रेड में ऐसे व्यक्ति के लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धान्त, जो कार्य परिषद् समय—समय पर, विनिर्दिष्ट करे, के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग जिनको इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं, के संबंध में सम्पूर्ण और अद्यतन ज्येष्ठता सूची उपखण्ड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार और अनुरक्षण करेगा।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो, तो कुलसचिव, स्वप्रेरणा से, मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

24. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो, वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति, और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे, इसमें, इसके पश्चात, नियुक्त प्राधिकारी कहा गया है), लिखित आदेश द्वारा, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, को निलंबित कर सकता है और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट देगा, जिनमें आदेश किया गया था :

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

परन्तु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती है।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के अनुसार या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सम्बन्ध में कार्य परिषद्, और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी को किसी शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को जैसी भी स्थिति हो, व्यभिचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथा उपरोक्त के सिवाय, कार्य परिषद्, या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, किसी शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को किसी उपयुक्त कारण से तथा तीन मास का नोटिस देने के बाद, या उसके बदले में तीन मास के वेतन के भुगतान से अन्यथा हटाने के लिए हकदार नहीं होगा।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को उपखण्ड (2) या उपखण्ड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परन्तु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को तीन मास का लिखित नोटिस देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन के भुगतान करने के पश्चात् त्यागपत्र दे सकता है।

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को केवल एक मास का लिखित नोटिस देने या उसके बदले में एक मास के वेतन के भुगतान के पश्चात् त्यागपत्र दे सकता है :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तिथि से प्रभावी होगा, जिसको, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

25. (1) कार्य परिषद् विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो—तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, राज्य सरकार से मानद उपाधियां प्रदान करने के प्रस्ताव कर सकती है :

मानद उपाधियां।

परन्तु आपात की दशा में, कार्य परिषद्, स्वप्रेरणा से ऐसे प्रस्ताव कर सकती है।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकती है।

उपाधियों इत्यादि का वापस लिया जाना।

26. कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो—तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या उपाधि—पत्र को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकती है :

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने का लिखित नोटिस न दे दिया जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाना चाहिए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों, यदि कोई हों, पर और किसी ऐसे साक्षय पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

27. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा, जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में, आचार्यों और सह—आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी।

(3) कुलपति उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियों या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने तथा ऐसी कार्रवाई करने, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, की अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश कर सकता है कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी राशि के जुर्माने सहित दण्ड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या से अधिक वर्ष के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों की, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, का परिणाम रोक दिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(5) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के डीनों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को अपने—अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा, जो ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और अध्यापन विभागों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और उपखण्ड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के डीन और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुप्रकृत नियम भी बना सकते हैं, जो उसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(7) दाखिले के समय, प्रत्येक छात्र से इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने को कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

दीक्षांत समारोह।

28. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, में आयोजित किए जाएंगे।

बैठकों का कार्यकारी अध्यक्ष।

29. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने हेतु किसी अध्यक्ष के लिए उपबंध नहीं किए गए हैं अथवा जब इस प्रकार उपबंधित अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

त्यागपत्र।

30. सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, कूलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र ऐसा पत्र कूलसचिव को प्राप्त होने के यथाशीघ्र प्रभावी हो जाएगा।

31. (1) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य चुने जाने और निरहता | सदस्य बने रहने या विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिये निरहित होगा, यदि—

- (i) वह विकृत्तचित् है;
- (ii) वह अनुन्मोचित् दिवालिया है; या
- (iii) उसे नैतिक अधमता वाले किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति उपखण्ड (1) में वर्णित निरहताओं में से किसी एक के अध्यधीन है या रहा है, तो प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

32. परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में साधारणतया निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय को कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

33. परिनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में या विशिष्ट नियुक्ति के धारक के रूप में अपनी हैसियत में विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, तो ऐसा पद केवल तब तक धारण करेगा या सदस्य बना रहेगा जब तक उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता।

34. (1) विश्वविद्यालय के लिए पूर्वछात्र संगम होगा।

(2) पूर्वछात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्वछात्र संगम का कोई भी सदस्य तब तक मत देने या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा जब तक वह निर्वाचन तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व संघ का सदस्य नहीं रहा हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि वाली उपाधि का धारक न हो :

परन्तु प्रथम निर्वाचन की दशा में, एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी किए जाने की शर्त लागू नहीं होगी।

35. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें छात्र परिषद्। निम्नलिखित होंगे—

- (i) छात्र कल्याण डीन, जो कि छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा;
- (ii) बीस छात्र, अध्ययन, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में योग्यता के आधार पर विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; तथा
- (iii) बीस छात्र, जो छात्रों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी छात्र, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए, को छात्र परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मामला ले जाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मामले पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) छात्र परिषद् के कृत्य होंगे कि वह, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने के संबंध में सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) छात्र परिषद्, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद् की प्रथम बैठक शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में आयोजित की जाएगी।

36. (1) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित उपखण्डों में विनिर्दिष्ट रीति में किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकते हैं।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

(2) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में, कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक ऐसे अध्यादेशों का प्रारूप विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को उपखण्ड (2) के अधीन विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्तावित किन्हीं अध्यादेशों के किन्हीं प्रारूपों को संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है या विद्या और गतिविधि परिषद् के पुनर्विचार के लिए प्रारूप को या तो पूर्णतः या भागतः तथा किसी संशोधन जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, के साथ वापस भेज सकती है।

(4) जहां कार्य परिषद् द्वारा विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के प्रारूप को अस्वीकृत कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या और गतिविधि परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकती है और उस दशा में, जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो—तिहाई और विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है, तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकता है, जो या तो उसे अपनाएगी या उसे राज्य सरकार को निर्देशित करेगी, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति होगी।

(8) राज्य सरकार, कार्य परिषद् को उपखण्ड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेशों पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगी और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकती है या अध्यादेश को अस्वीकृत कर सकती है, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम ।

37. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत निम्नलिखित मामलों के लिए विनियम बना सकते हैं, अर्थात् :—

- (i) उनकी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;
- (ii) उन सभी मामलों के लिए उपबंध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा, विनियमों द्वारा विहित किए जाने अपेक्षित हैं; और
- (iii) ऐसे सभी अन्य मामलों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों और उन बैठकों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद्, इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति, जो वह विनिर्दिष्ट करे, में संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम को निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकती है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

38. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियों को अपने या उसके नियंत्रण में किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित रहेगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पहला पूर्ण विश्वविद्यालय होगा। खेल के क्षेत्र में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, उच्च प्रशिक्षण इत्यादि क्षेत्रों में खालीपन मौजूद है। इसलिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिससे उसके खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में खेल शिक्षा और खेल से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में पर अनन्य ध्यान होने के कारण इस खालीपन को दूर करने की आशा है।

विश्वविद्यालय का विशेष ध्यान नवीनतम शोध के आधार पर खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा और खेल प्रौद्योगिकी आदि में प्रयोज्यता के साथ बड़—अनुशासनात्मक अध्ययनों पर होगा। विश्वविद्यालय को दूरस्थ कैम्पस स्थापित करने का भी अधिकार है। शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध के अलावा विश्वविद्यालय और इसके दूरस्थ कैम्पस उत्कृष्ट एथलीटों, खेल अधिकारियों, रेफरी और अम्पायरों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और खेल के विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित होंगे।

संदीप सिंह,
खेल कूद एवं युवा मामले राज्य मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 12 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

1. विधेयक के खंड 25 के उप-खंड (1) में प्रावधान है कि प्रथम परिनियम वह है जो इस विधेयक की अनुसूचि में वर्णित है। विधेयक के खंड 25 के उप-खंड (4) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार विधेयक के प्रारंभ होने के बाद तीन वर्ष की अवधि के दौरान नई या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या पहली परिनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकती है। तीन साल की अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार ऐसी समाप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऐसी विस्तृत परिनियम जैसी उचित समझी जाएं बना सकती है। विधेयक का खंड 24 उन मामलों के लिए प्रावधान करता है जिनके संबंध में परिनियम बनाई जा सकती है।
2. विधेयक के खंड 26 के उप-खंड (1) में उन मामलों का प्रावधान है जिनके संबंध में अध्यादेश बनाए जा सकते हैं। विधेयक के खंड 26 के उप-खंड (2) में प्रावधान है कि कार्यकारी परिषद की पूर्व मंजूरी के साथ कुलपति द्वारा प्रथम अध्यादेश बनाए जाएँगे। बनाए गए अध्यादेशों में संशोधन या निरस्तीकरण परिनियमों में निर्धारित तरीके से कार्यकारी परिषद द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
3. विधेयक का खंड 27 विश्वविद्यालय को अपने स्वयं व विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त समितियों यदि कोई है, के कार्य के संचालन के लिए विधेयक, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुरूप विनियम बनाने का अधिकार देता है।
4. जिन मामलों के संबंध में परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाए जा सकते हैं वे प्रक्रिया और प्रशासनिक विस्तर के मामले हैं अतः प्रस्तावित विधेयक में उनके लिए प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।